राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3 (ख)( )प्रशिक्षण/अलेसे–।।/507 दिनांक :– 7.06.2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को श्री हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में दिनांक 11.06.2018 से 03.08.2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के 8 सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ संस्थानिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.06.2018 को प्रातः 9:30 बजे प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:–

क.स.	मेरिट नम्बर	नाम स.ले.अ. II/ लिंक नं.	पदस्थापन स्थान
1	271/2011	श्री नवीन सिंह/ 9779	आयुक्त, पुलिस विभाग जयपुर
2	आर 22/ 2011	श्री कमलेश चन्द शर्मा/ 9806	उपकोषाधिकारी, जमवारामगढ़, जयपुर
3	आर 36/ 2011	श्री अमित कुमार झालानी/ 9807	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटकासिम (अलवर)

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी। प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थी को वेतन एवं भत्ते आदि भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जावेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान–पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर ही करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/ विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कार्मिक प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त सभी प्रकार के वेतन–भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दोगुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बॉण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त सभी **सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II** अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

साथ ही उपरोक्त के अतिरिक्त श्री मनोज कुमार मीणा, सहायक लेखााधिकारी ग्रेड–II द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद का प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लिया है लेकिन उनके द्वारा प्रशिक्षण के उपरांत हुई परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण नहीं किया गया है। अतः उन्हें निम्नांकित तालिका में अंकित अनुत्तीर्ण पेपर की परीक्षा दिलवाये जाने हेतु उक्त सांस्थानिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु एतद्द्वारा मनोनीत किया जाता है।

क. स.	मेरिट नम्बर	नाम स.ले.अ. II/ लिंक नं.	पदस्थापन स्थान	अनुत्तीर्ण पेपर का विवरण	विशेष विवरण
1	आर 78/ 2011	श्री मनोज कुमार मीना/ 9726	कोषाधिकारी, राजसमंद	कनिष्ठ लेखाकार पद पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है लेकिन इनके द्वारा प्रश्न पत्र संख्या 2 (दूसरा) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं कोषागार नियमावली का पेपर उत्तीर्ण नहीं किया गया है। उक्त पेपर की ही परीक्षा ली जानी है।	सांस्थानिक प्रशिक्षण के उपरांत होने वाली परीक्षा कार्यक्रम में आवश्यक रूप से सम्मिलित होवें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.3 (ख)( )प्रशिक्षण/अलेसे–।।/507 दिनांक :– 7.06.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महानिदेशक, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (लेखा) एवं पाठ्यक्रम निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को उक्त आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें
4. श्री ....,सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II विभाग/कार्यालय.. को प्रेषित कर लेख है कि हरिशचन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आयोजित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होवें एवं उपस्थिति की सूचना अविलम्ब भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)